| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25-1-18 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर है ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते~~ है। ~~अन्य कार्य मे व्यस्त~~ है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-2-18 को पेश हों। | |
| 7.02.18 | पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद रहे।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>लाखेरी (बून्दी) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

प्रार्थना पत्र संख्या 16/प्रार्थना पत्र/17 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा RAS

दायरा दिनांक– 31.03.17

उनवान

1. रामफूल आयु 50 आत्मज श्री रामकुंवार जाति मीना
2. तेजमल आयु 48 वर्ष आत्मज श्री रामकुंवार जाति मीना
3. सूरजमल आयु 45 वर्ष आत्मज श्री रामकुंवार जाति मीना
   निवासीगण माल की झोपडियां, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)
4. शांतिबाई आयु 52 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार एवं पत्नि श्री गिरिराज जाति मीना हाल
   निवासी ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी
5. लाडबाई आयु 43 पुत्री श्री रामकुंवार एवं पत्नि मनफूल जाति मीना हाल निवासी रेल्वे
   स्टेशन, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
6. लालीबाई आयु 47 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार एवं पत्नि श्री किशनगोपाल जाति मीना हाल
   निवासी ग्राम टोकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश आयु 35 वर्ष आत्मज श्री मौजीराम जाति मीना निवासी माल की झांपडियां,
   लाखेरी तहसील इन्द्रगढ, बून्दी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

दिनांक–7.02.18

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने जर्ये अधिवक्ता इस न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नई 432 पुरानी 428 की ख. सं. 3714 रकबा 0.01 है. किस्म गै. मु. चाह, खं.

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सं. 3715 रकबा 0.27 है. किस्म बारानी द्वितीय, ख. सं. 3715/4344 रकबा 0.64 है. किस्म बारानी द्वितीय, ख. सं. 3716/2 रकबा 0.60 है. किस्म बारानी द्वितीय कुल 4 किता खसरा नम्बरान की कुल रकबा 1.52 है. वाके ग्राम लाखेरी पटवार क्षेत्र लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है।

कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी व अन्य सहखातेदारान् की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण की माता सहखातेदार भूरी बाई का देहान्त हो चुका है एवं श्रीमति भूरी बाई के हिस्से की कृषि भूमि उनके वारिसान वादीगण एवं अप्रार्थी के पिता श्री मौजीराम आत्मज श्री रामकुंवार एवं राजाबाई पुत्री श्री रामकुंवार एवं राजाबाई पुत्री श्री रामकुंवार में न्यस्त हो चुकी है। सहखातेदार मौजीराम एवं राजाबाई का भी देहान्त हो चुका है जिनके समस्त वारिसान को प्राथीगण द्वारा वाद में पक्षकार बनाया जा चुका है परन्तु अप्रार्थी द्वारा अधिकतर समय बेसमय निरन्तर तंग एवं परेशान करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा होने के कारण उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया जा रहा है। कृषि भूमि में श्रीमति भूरी बाई के देहावसान के पश्चात प्रार्थीगण का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 2/3 भाग में से 6/8 अर्थात कुल कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है एवं प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से पर बाह्य रजामन्दी से काबिज होकर कृषि भूमि उपयोग, उपभोग कर रहे है।

प्रार्थीगण का मुकदमा प्रथम दृष्टया सही एवं प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा यदि अप्रार्थी अपने उद्देश्य में कामयाब हो गया तो अप्रार्थी के बनिस्पत प्रार्थीगण को तुलनात्मक रूप से अत्यधिक कठिनाई एवं अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थना पत्र के चरण कम 2 में वर्णित कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के हक अधिकार एवं हिस्से व स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे दखलंदाजी ना करे एवं कृषि भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं नाजायज कब्जा करने का प्रयास भी नहीं करें एवं ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने मार्फत किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया है। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी पर अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। नियत पेशी पर अधिवक्ता प्रार्थीगण एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि है। प्रार्थीगण का कुल कृषिभूमि में 1/2 हिस्सा बनता

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

है। अप्रार्थी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषिभूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने को आमदा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सही और प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है–

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला–</u> मुताबिक जमाबन्दी ग्राम लाखेरी सम्वतः 2068–2071 खाता संख्या 428 में प्रार्थीगण और अप्रार्थी सहखातेदार हैं। पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी में भी प्रार्थीगण और अप्रार्थी दोनो के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जिस अप्रार्थी के विरूद्ध है वह भी काबिज है। एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक यह साबित नहीं हो जाये कि उसके द्वारा अन्य सहखातेदार के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया हो। इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता।
2. <u>सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। चूंकि विवादित आराजी अविभाजित है, अतः आशंकित क्षति की संभावना एवं अधिसंभावना की तुलना करने पर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)